[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3 उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, तारीख: 2018

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के पत्तन एवं विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन (समूह 'ख') भर्ती नियम, 2003 के अधिक्रमण में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन पत्तन, विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन एवं थल सीमा संगरोध केन्द्रों में स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पत्तन, विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन एवं थल सीमा संगरोध केन्द्र (समूह 'ख') भर्ती नियम, 2018 है।

   (ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **अनुप्रयोग-** ये नियम अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में लेवल-** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने का अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श और कारणों को लेखबद्ध कर आदेश द्वारा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
पीएच (आईएच) अनुभाग

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्वास्थ्य निरीक्षक	97* (2018) *कार्यभार के आधार पर परीवर्तनीय	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल 6 (रु. 35400-112400)	चयन पद	30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक की छूट । नोट: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख़ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञापित तारीख़ होगी । टिप्पण: आयु निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख़ भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख़ होगी (न कि वह नियत तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक विज्ञान की डिग्री या समकक्ष; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा के साथ किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से स्वच्छता निरीक्षक अथवा समकक्ष में डिप्लोमा; एवं (iii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान में स्वच्छता में तीन वर्षों का अनुभव	लागू नहीं	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा
(10)	(11)
25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: पत्तन/विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठनों के स्वास्थ्य सहायक (लेवल-2) जिन्होंने उस श्रेणी में अट्ठारह वर्षों की नियमित सेवा की हो । "(i) सामान्य स्वच्छता (ii) वेक्टर निगरानी एवं नियंत्रण उपायों (iii) विमान कीटनाशन, चूहानाशन (iv) यात्रियों, कार्गो, वाहनों के लिए विसंदूषण प्रक्रियाओं (v) खाद्य एवं जल सुरक्षा एवं (vi) एसएससीसी (पोत स्वच्छता नियंत्रण प्रमाणपत्र) निर्गत करने हेतु पोत स्वच्छता के लिए निरीक्षण प्रक्रिया, आदि पर आधारभूत/क्षेत्र प्रशिक्षण देने के लिए 3-4 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम ।" टिप्पण: जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(12)	(13)
प्रोन्नति: 1. संबंधित उप महानिदेशक - अध्यक्ष 2. संबंधित सहा. महानिदेशक/उप सहा. महानिदेशक- सदस्य 3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अवर सचिव- सदस्य **सीधी भर्ती हुए अभ्यर्थियों की संपुष्टि:** 1. संबंधित उपमहानिदेशक- अध्यक्ष 2. संबंधित सहा. महानिदेशक/उप सहा. महानिदेशक- सदस्य 3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अवर सचिव- सदस्य	आवश्यक नहीं

नोट: टिप्पण/सुझाव दिनांक 21.04.2018 तक phih.section@gmail.com पर भेजा जा सकता है ।